EPIC-COMP-DEO
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रः एफ. 3/III-A/ELEC./EPIC-VII/Gen./11/ 4209 जयपुर, दिनांक : 31.03.2014

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता फोटो पहचान पत्रों के प्राप्ति प्रमाण–पत्रों की पूर्ति में कामियों/विसंगतियों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पहचान पत्र प्राप्ति के प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाते है। यह ध्यान में आया है कि प्रमाण पत्रों में संबधित कालम्स की पूर्ति नहीं कर रिक्त छोड दिया जाता है, जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अतः प्रमाण पत्रों की पूर्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:–

1 प्रमाण पत्रों के समस्त भागों के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें। यदि सूचना शून्य है तो शून्य अथवा × अंकित करावें। किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोडा जाए।

2 प्रमाण पत्रों पर फ्लूड का प्रयोग नहीं किया जाये। यदि प्रमाण पत्र में कटिंग की गयी है तो कटिंग को प्रमाणित करावें।

3 प्रमाण पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रमाणन स्वरूप मुहर सहित हस्ताक्षर करावें।

4 प्रायः देखा गया है कि त्रुटियुक्त पहचान पत्र जो फर्म द्वारा पुनः सही कर आपुर्ति नहीं किये गये है के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र के भाग सं. IV में टिप्पणी अंकित की जाती हैं यह सही नहीं है। ऐसे पहचान पत्रों को रिजेक्ट मानते हुए भाग– I के क्र.सं. 3 मे अंकित करावें ताकि इनका भुगतान न हो।

5 यह भी देखा गया है कि भाग– 1 में फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये समस्त पहचान पत्रों को भुगतान हेतु प्रमाणित पहचान पत्र वाले बिन्दु सं. 4 में अंकित किया जाता है परन्तु प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में पहचान पत्र मापदण्ड के अनुसार न होने, त्रुटिपूर्ण होने आदि की टिप्पणी अंकित की जाती है। इससे विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो पहचान पत्र मापदण्ड के अनुसार नही है, त्रुटिपूर्ण है तथा अस्पष्ट है वे रिजेक्ट योग्य है। ऐसे समस्त पहचान पत्रों को भाग– 1 के रिजेक्ट पहचान पत्र वाले बिन्दु सं. 3 में अंकित करावें। पृथक से टिप्पणी अंकित नहीं करावें।

6 कुछ प्रमाण पत्रों में डेटा सी डी प्राप्त न होने अथवा सही दशा में प्राप्त न होने की टिप्पणी के साथ प्रमाण–पत्र प्रेषित कर दिये जाते है। उल्लेखनीय है कि अनुबंधानुसार फर्म को उन्हीं त्रुटिरहित प्रमाणित पहचान पत्रों का भुगतान देय है जिनका डेटा भी प्रमाणन हैं। अतः डेटा प्रमाणित के बिना प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। फर्म द्वारा डेटा आपूर्ति के उपरान्त चेक लिस्ट से डेटा सत्यापन के उपरान्त भाग–1 के बिन्दु सं. 6 में प्रमाणित डेटा की संख्या अंकित कर ही प्रमाण –पत्र प्रेषित करावें।

7 प्रमाण पत्र के प्रत्येक भाग एवं बिन्दु में अपेक्षित सूचना प्रमाण–पत्र में ही स्पष्ट हैं। अतः प्रमाण–पत्र में पृथक से कोई विरोधाभाषी टिप्पणी अंकित नहीं कराकर संबंधित भाग एवं बिन्दु में ही अंकित करावें।

8 फर्म द्वारा पहचान पत्रों की आपूर्ति के पश्चात् प्रमाण पत्रों के प्रेषण में अनावश्यक विलम्ब नहीं करावें। क्योकि प्रमण पत्रों के आधार पर ही बजट प्रावधान एवं इनका उपयोग निर्धारित होता है। समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर प्रावधान प्रभावित होते है।

9 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जॉच जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रमाण पत्र के समस्त भागों की यथास्थिति पूर्ति की गई है। जहॉ अपेक्षित हो जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा भी पूर्ति की जाये।

कृपया प्रमाण पत्रों की पूर्ति में उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चत करावें ताकि इनकी कमियों/विसंगतियों के निस्तारण हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं हो।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

क्रः F. 3/III-A/Elec./EPIC-VII/Gen./11/ जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ए.डी.एम/एस.डी.एम.) राजस्थान।
2 मै. बाईनरी सिस्टम्स, जयपुर।
3 मै. जैम कम्प्यूटर्स, जयपुर।
4 मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर
5 मै. बिजनेस इन्फोरमेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, जयपुर
6 मै नैचुरल साफ्टवेयर्स प्रा. लि. जयपुर

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।